

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)/(226/92) लिंक न. 3270/अलेसे-III/2590 दिनांक :- 6.12.18.

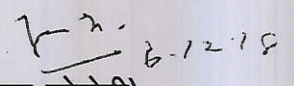
आदेश संख्या 259/2017-18

श्री नेहरू लाल, (लिंक नं. 3270) निलम्बित कनिष्ठ लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यारो में अपराध दर्ज होने के कारण निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग के आदेश क्रमांक 8132 दिनांक 25.07.2013 के द्वारा निलम्बित किया गया इसके उपरान्त इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 329 दिनांक 27.06.2017 से बहाल किया गया था लेकिन दिनांक 25.05.2018 को गिरफ्तार होने एवं 48 घण्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण इस कार्यालय आदेश क्रमांक 1745 दिनांक 20.06.2018 के द्वारा निलम्बित किया गया।

श्री नेहरू लाल निलम्बित क0लेखाकार को निलम्बन से बहाली के संबंध में कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157) कार्मिक/क-2/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु-3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23) प्रसु/अनु-3/99 दिनांक 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन में बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 26.09.2018 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प. 2(3)वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 28.09.2018 के द्वारा प्रेषित उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण में श्री नेहरू लाल को निलम्बन से बहाली का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के फलस्वरूप श्री नेहरू लाल, (निलम्बित) क0लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अधीन किया जावेगा।

उक्त आदेश राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2018 के लिए जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते सक्षम अनुमोदन उपरान्त जारी किये जाते हैं।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)/(226/92) लिंक न. 3270/अलेसे-III/2590 दिनांक :- 6.12.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर को पत्र क्रमांक प.2(3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 28.09.2018 के क्रम में।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।
3. अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।
4. कोषाधिकारी कोष कार्यालय (शहर) जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. श्री नेहरू लाल क.ले. मुख्यालय कोष कार्यालय (शहर) जयपुर।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/
8. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर प्रकाशन एवं पीआईएस में दर्ज करने हेतु)।
9. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)